

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1618(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण के सदस्य नामित किया है, अर्थात् :-

(i) जनरल एन. सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)	उपाध्यक्ष
(ii) श्री के. एम. सिंह	सदस्य
(iii) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक	सदस्य
(iv) लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) जे. आर. भारद्वाज, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, पीएचएस	सदस्य सदस्य
(v) डॉ. मोहन कांडा	सदस्य
(vi) श्री एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य
(vii) श्री बी. भट्टाचारजी	सदस्य
(viii) श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जनरल एन. सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) को उक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया है।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III (ए)]
नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

S.O. 1618(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated the following persons as members of the said Authority, namely :—

(i) General N.C. Vij, PVSM, UYSM, AVSM (Retd.)	Vice-Chairman
(ii) Shri K. M. Singh	Member
(iii) Shri M. Shashidhar Reddy, MLA	Member
(iv) Lt. Gen. (Retd) J.R. Bhardwaj, PVSM, AVSM, VSM, PHS	Member
(v) Dr. Mohan Kanda	Member
(vi) Shri N. Vinod Chandra Menon	Member
(vii) Shri B. Bhattacharjee	Member
(viii) Smt. P. Jyoti Rao	Member

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the said Act, the Chairperson of the National Disaster Management Authority has designated General, N.C. Vij, PVSM, UYSM, AVSM (Retd.) as the Vice-Chairperson of the said Authority.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.